

10 ⁰³ 2021

पत्रावली पेश हुई। अधिकतम उम्र पक्ष उपस्थित।
रेस्यूडेंट्स सं. 01 की ओर से प्रस्तुत पत्र (07) (R) 11 पर उम्र पक्ष की बहस सुनी गई।
पत्रावली में मन्नन किया गया। पत्रावली पत्र (07) (R) 11
अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा
अपील इन्तकाल विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक
07-06-2019 को खारिज ग्राम पंचायत बड़ौदिया द्वारा
गलत तरीके से निरस्त किये नामान्तरकरण प्रक्रिया
को निरस्त कर नामान्तरकरण खुलवाने में अपील
प्रस्तुत कर निवेदन किया। उम्र पक्ष को चुना गया।
पत्रावली का खारिज किया गया। अपीलार्थी सं. 01 व
02 ने दिनांक 28.01.2019 को एक कृषि भूमि जो कि
ग्राम भगवतपुरा फरह बड़ौदिया तहसील रावतमारा जिला
चित्तौड़गढ़ राज. की जमाबन्दी संभवत 2072-75 की
खता संख्या 46 की खसरा संख्या 88 रकबा 1.61 हेक्टर
भूमि जिनके रजिस्टर्ड विस्तृत पत्र से श्रीमती सीएन
बाई पत्नी स्व. श्री आनंदीलाल जायसवाल निवासी
खुवासरा मण्डी (महेश) टाल निवासी बड़ौदिया से कीमत
3,00,000/- अक्षर तीन लाख रूपये में एक कीधी
जिसका पंजीयन श्रीमती सीएन बाई ने स्वयं उपपंजीयन
रावतमारा से समझौदा किया है। अपीलान्टगण के
पक्ष में गवाहों की मौजूदगी में कराया था। पत्रावली
में शामिल खास्य व दस्तावेजों का निरीक्षण किया
गया। ग्राम भगवतपुरा फरह बड़ौदिया भू-आ-नि बड़ौदिया
में ग्राम पंचायत बड़ौदिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या
70 दिनांक 07.06.2019 को खारीज किया जो विधि-
सम्मत नहीं है। अपीलार्थी गणों ने विस्तृत पत्र संख्या
2019013880000116 दिनांक 28.01.2019 को आधार
पर क्रेतागण / अपीलान्टगण द्वारा कृषि भूमि खता
संख्या 46 की खसरा संख्या 88 रकबा 1.61 हेक्टर
रकम की है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार
की जाती है एवं तहसीलदार रावतमारा को

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App-Z
crim-I

लत : उपखण्ड अधिकारी


मुकाम : रावतभाटा

नील सोनी

बनाम ग्राम पंचायत कौटिया

दमा : अपील

नं० : ०१/२०१७ सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
<p>आदेशित किया जाता है कि निम्नानुसार नामान्तरकरण सेवा जाकर राजस्व रेकर्ड में निम्नानुसार अंमल किया जावे। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम ही।</p>	<p> उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>